न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 31/2024

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान बैंक के कार्यालय जी–18, आई.ओ.सी. पेट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह मीणा

...प्रार्थी

बनाम

1. गौरव हाण्डा केयर (बोरोवर) पता– गुप्तेश्वर रोड, बसन्त विहार कॉलोनी, जिला दौसा राज0 303303
2. आयुष सैनी पुत्र रामकिशन सैनी, (को– बोरोवर) पता–गुप्तेश्वर रोड, बसन्त विहार कॉलोनी, जिला दौसा राज0 303303
3. रामकिशन सैनी पुत्र कजोड सैनी (को–बोरोवर) पता–गुप्तेश्वर रोड, जिला दौसा राज0 303303 अन्य पता– मुन्सिपल कॉर्पोरेशन, 949, बसन्त विहार कॉलोनी, जिला दौसा राज0

....अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 01.05.2024

प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण गौरव होण्डा केयर व अन्य को दिनांक 31.03.2021 को 7,00,000/– रूपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में प्रार्थना पत्र की मद सं.–5 में वर्णित संपति को प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के हक मे बंधक रखा था किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तो के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 08.10.2023 को अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए.श्रेणी में वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 10.10.2023 तक प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के अप्रार्थीगण की तरफ 6,85,688/– रूपये निकलते है जिनके संबंध में प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा अप्रार्थी को **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 13.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात को समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवा गया, किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधकशुदा संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–5 मे दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पति/जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद सख्या–5 में दिया गया है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी को दिलाये जाने कें संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आये कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण राशि का एग्रीमेंट की शर्तो के अनुसार नियमानुसार भुगतान नही किया है जिसके कारण कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी ने अप्रार्थी के ऋण खाते को दिनांक 08.10.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है तथा इसके पश्चात प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा धारा 13(2) के नोटिसों का समुचित रूप से तामील/प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा विहित समयावधि के भीतर बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी/बैंक/कंपनी को नहीं किया है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधक संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–5 में दिया गया का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

अतः प्रार्थी ए.यू.स्माल फाईनेंस बैंक लि0 के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial [illegible] Enforcement of Security Interest Act, 2002** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया [illegible] है [illegible] प्रार्थना पत्र की मद संख्या–5 में वर्णित संपति मालिक रामकिशन सैनी मोरगेज संपति का विवरण [illegible] मुन्सिपल कॉर्पोरेशन, 949 बसंत विहार कॉलोनी जिला दौसा राज0 कुल क्षेत्र 173.33 वर्गगज है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दिलाये जाने एवं पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु [illegible] अधीक्षक, दौसा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी [illegible] द्वारा नियमानुसार खर्चा जमा करवाये जाने पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 11:00:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 01 मई, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा